इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 18, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चारुलता नानक धिंगरा (CHARULATA NANAK DHINGRA) पिता स्व. नानक धिंगरा था, जो कि मेरी शादी के बाद मेरा नाम आरोही मलुकानी पति श्री भावेश मलुकानी (AAROHI MALUKANI W/o BHAVESH MALUKANI) के नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चारुलता नानक धिंगरा)	**(आरोही मलुकानी)**

पति– श्री भावेश मलुकानी,
निवासी– 21, सर्वोदय नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

(G-2122)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष (रोहीदास) बोरसे पुत्र श्री बाप्या बोरसे, निवासी– म.नं. 1078, नार्थ टी.टी. नगर, बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.) ने अपना नाम परिवर्तित कर संतोष बोरसे कर लिया है तथा अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम	नया नाम
संतोष (रोहीदास) बोरसे	**(संतोष बोरसे)**

पुत्र– श्री बाप्या बोरसे,
निवासी– म.नं. 1078, नार्थ टी.टी. नगर,
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

(G-2123)

आम सूचना

मैं, शिल्पी सिन्हा पति अमित सिन्हा, निवासी– MIG-2-179, दीनदयाल नगर, गंभीरिया सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) घोषणा करती हूँ कि सर्वसाधारण सूचित हो कि मेरी पुत्री अनुष्का का नाम कक्षा 10वीं अंकसूची में अनुष्का अग्रवाल पिता मनोज अग्रवाल त्रुटिपूर्ण लेख है, जबकि अन्य सभी शासकीय दस्तावेजों में नाम अनुष्का सिन्हा पिता अमित सिन्हा दर्ज है. जो कि सही नाम है. इस कारण मेरी पुत्री का सही नाम कक्षा 10 सहित अन्य दस्तावेजों के सन्दर्भ में अनुष्का सिन्हा (ANUSHKA SINHA) पिता अमित सिन्हा पढ़ा, सुना व लेख किया जाता है. इस संबंध में सर्वसाधारण को मैं, सूचित कर घोषणा करती हूँ.

पुराना नाम
(अनुष्का अग्रवाल)
(ANUSHKA AGRAWAL)
पिता– मनोज अग्रवाल,

नया नाम
(अनुष्का सिन्हा)
(ANUSHKA SINHA)
पिता– अमित सिन्हा

(G-2124)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी के पूर्व साहिबा भारवानी पिता महेश भारवानी था. मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज हैं, विवाह पश्चात् मेरा नाम मिहिका नरसिंघानी पति अभिषेक नरसिंघानी हो गया है तथा शासकीय कार्यालयों में मेरा नाम मिहिका नरसिंघानी पति अभिषेक नरसिंघानी दर्ज किया जावे एवं आगे भी मुझे इसी नाम से जाना जावें.

पुराना नाम
(साहिबा भारवानी)

नया नाम
(मिहिका नरसिंघानी)
पति अभिषेक नरसिंघानी,
निवासी– 36, विष्णुपुरी मेन,
इन्दौर (म.प्र.)

(G-2125)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जगन्नाथ ठोसर पिता श्री देविदास ठोसर का पूर्व नाम दिगम्बर सोनी पिता श्री देविदास था. अब मेरा नाम जगन्नाथ ठोसर पिता श्री देविदास ठोसर जो सही है. इसलिये परिवर्तित नाम जगन्नाथ ठोसर पिता श्री देविदास लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(दिगम्बर सोनी)

नया नाम
(जगन्नाथ ठोसर)
पता– 189, सेक्टर–डी, स्लाईस नम्बर–4,
स्कीम नम्बर 78, विजय नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

(G-2126)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है कि मैं, माखनसिह चौहान पुत्र श्री शिवराम सिह, निवासी– ग्राम नांदनेर, तहसील राघौगढ़, पोस्ट दौराना, जिला गुना (म.प्र.) एवं वर्तमान में कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड कोलारस में (भृत्य) के पद पर पदस्थ हूँ. मेरा पूर्व का नाम माखनसिह सहरिया था और इसी नाम से मैंने सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की तथा आज तक समस्त संव्यवहारों एवं शासकीय सेवा में इसी नाम से जाना जाता हूँ. यह कि मेरा गोत्र चौहान है, जो मैं उपनाम एवं सरनेम में जो लगा रहा हूँ. अब मैं अपने पूर्व नाम माखनसिह सहरिया के स्थान पर माखनसिह चौहान से जाना, पहचाना जाऊंगा तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगा. मुझे आगे से इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माखनसिह सहरिया)	**(माखनसिह चौहान)**
(MAKHAN SINGH SAHARIYA)	(MAKHAN SINGH CHAUHAN)

(G-2127)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अर्पिता अग्रवाल एवं अर्पिता बासिया आत्मज श्री एस. एस. अग्रवाल, निवासी– एस–3, दिव्या होम्स, प्लाट नं. सी–4/3, श्यामला हिल्स, किलोल पेट्रोल पंप के पास, भोपाल (म.प्र.) है एवं विवाह पूर्व मेरा नाम अर्पिता अग्रवाल पुत्री श्री एस. एस. अग्रवाल था. विवाह के बाद मेरा नाम अर्पिता बासिया हो गया था एवं अमित बासिया से तलाक हो जाने के उपरांत मैं उनके सरनेम को छोड़कर पुनः अपने विवाह पूर्व के नाम को अपना रही हूँ ताकि तलाक उपरांत मेरे पूर्व पति की पहचान मुझसे पूर्णतः समाप्त हो सके और मैं पुनः अर्पिता अग्रवाल के नाम से जानी व पहचानी जाऊं. यह कि मेरे नाम से जारी पूर्व के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अर्पिता अग्रवाल दर्ज है और वर्तमान में मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अर्पिता बासिया दर्ज है. उपर्युक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे अर्पिता अग्रवाल आत्मज श्री एस. एस. अग्रवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाये. सूचित हो.

पुराना नाम	नया नाम
(अर्पिता बासिया)	**(अर्पिता अग्रवाल)**
पत्नी– श्री अमित बासिया,	आत्मज– श्री एस. एस. अग्रवाल, निवासी– एस–3, दिव्या होम्स, प्लाट नं. सी–4/3, श्यामला हिल्स, भोपाल.

(G-2128)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार श्री अशोक मतानी पुत्र श्री अर्जुनदास मतानी के साथ सम्पन्न हुआ था. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. नीता राजपाल पुत्री श्री गोपीलाल राजपाल था. यही नाम मेरे पूर्व के शिक्षा अभिलेखों एवं शासकीय दस्तावेजों आदि में दर्ज है. विवाह उपरांत मेरा नाम नीता मतानी पत्नी अशोक मतानी हो गया था. अब मैंने अपना नाम नीता मतानी से बदलकर कंचन मतानी रख लिया है. भविष्य में मुझे श्रीमती कंचन मतानी पत्नी श्री अशोक मतानी के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नीता राजपाल/नीता मतानी)	**(कंचन मतानी)**
	पत्नी– श्री अशोक मतानी, पता– आंग्रे कॉलोनी, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2129)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष भैसारे पुत्र प्रताप सिंह भैसारे, निवासी– इण्डस एम्पायर, भोपाल वर्तमान में जिला भोपाल में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ. यह कि मैंने अपना नाम मनीष भैसारे से बदलकर मनीष प्रताप कर लिया है. अतः समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों जैसे– आधार, पैन कार्ड, वोटर आई. डी., शैक्षणिक अनुसूचियां, पासपोर्ट, सर्विस बुक, राजस्व अभिलेख आदि में मेरा नाम मनीष प्रताप अंकित किया जाए एवं भविष्य में मुझे मनीष प्रताप के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा जाए.

पुराना नाम
(मनीष भैसारे)
(MANISH BHAISARE)

नया नाम
(मनीष प्रताप)
(MANISH PRATAP)
पता– H.N. 07, इण्डस एम्पायर,
फेस 3, भोपाल.

(G-2130)

नाम परिवर्तन

मैं, धनसिंह राजपूत A/S धन्नूसिंह राजपूत, आयु 58 वर्ष, निवासी– ग्राम ताजपुर, ऊकाला, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) का स्थाई निवासी हूँ. मेरा वर्तमान पता– जयशिवशंकर नगर, बड़े स्कूल के सामने, पचोर रोड, शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर (म.प्र.) है. आज दिनांक 10–11–2022 से मुझे मात्र धनसिंह राजपूत के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम
(धनसिंह राजपूत A/S धन्नूसिंह राजपूत)

नया नाम
(धनसिंह राजपूत)

(G-2131)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल पिता श्री छकौड़ी लाल जैसवाल, निवासी– ग्राम खजुरी, पोस्ट झिन्ना, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) हाल निवासी– वार्ड नंबर 10, आदर्श नगर, घूरडांग सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) का हूँ. मेरा स्कूल का नाम सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल है व घरू नाम राजकुमार जैसवाल है, जो दोनों मेरे ही नाम हैं. उक्त दोनों नाम का अलग–अलग व्यक्ति नहीं है. मेरे आधार कार्ड एवं अंकसूची, पैन कार्ड तथा परिचय–पत्र में मेरा नाम सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल दर्ज है, जो कि मेरा वास्तविक नाम है तथा प्रचलन में है. मुझे राज्य बीमा निगम से मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत विकलांगता पेंशन मिलती है, जिसमें भूलवश मेरा घरू नाम राजकुमार जैसवाल लिख गया है, जिसे सुधार कर राजकुमार जैसवाल के स्थान पर मेरा वास्तविक नाम सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल दर्ज किया जाय एवं इसी अनुसार पढ़ा तथा जाना जाय.

पुराना नाम
(राजकुमार जैसवाल)

नया नाम
(सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल)
पता– तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).

(G-2132)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश कारपेंटर पिता घनश्याम जी कारपेन्टर, जाति सुतार, निवासी– ग्राम चुकनी, तहसील–मनासा, जिला–नीमच (म.प्र.) सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करता हूँ कि कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम कमलेश कुमार कारपेंटर (KAMLASH KUMAR CARPENTER) त्रुटिवश अंकित हो गया था, जबकि मेरे अन्य समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, भारतीय सेना में पदस्थी से संबंधी समस्त दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कमलेश कारपेंटर (KAMLESH CARPENTER) दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है एवं मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., भोपाल के समक्ष आवेदन कर मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरे नाम में हुई त्रुटि को सुधरवाकर मेरा नाम कमलेश कारपेंटर (KAMLESH CARPENTER) दर्ज करवा लिया है. मुझे कमलेश कारपेंटर के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जाता है एवं अब भविष्य में मुझे कमलेश कारपेंटर (KAMLESH CARPENTER) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे. सो सर्वसाधारण को सूचित हो.

पुराना नाम	नया नाम
(कमलेश कुमार कारपेन्टर)	**(कमलेश कारपेन्टर)**

(G-2133)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेरणा दुबे पत्नी श्री अपूर्व दुबे, निवासी– DK-5/45, दानिशकुंज, कोलार रोड, भोपाल शादी के समय मेरा नाम बरखा तिवारी पुत्री स्व. सुभाष चंद्र तिवारी था. सितम्बर 2003 में मेरे पति मनीष तिवारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई. मनीष तिवारी की मृत्यु के पश्चात् मेरा पुनर्विवाह श्री अपूर्व दुबे पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद दुबे के साथ जुलाई 2005 में हुआ. पुनर्विवाह पश्चात् मेरा नाम प्रेरणा दुबे हो गया है. अब मुझे प्रेरणा दुबे के नाम से जाना जाये. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेरणा दुबे दर्ज है.

पुराना नाम	नया नाम
(बरखा तिवारी)	**(प्रेरणा दुबे)**
	निवासी– DK-5/45, दानिशकुंज,
	कोलार रोड, भोपाल.

(G-2134)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन कलोसिया आत्मज श्री अम्बाराम कलोसिया, निवासी– 32, देवनगर, हरिजन कालोनी, इंदौर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम Mohan Kalosiya मेरे पिता Ambaram Kalosiya है. आधार कार्ड में मेरा नाम अंग्रेजी में गलत लिखा है एवं मेरे पिता के नाम के बाद सरनेम भी नहीं लिखा है, जो कि अपूर्ण है. उक्त आधार कार्ड में पूर्ण नाम एवं सरनेम अंकित करवाना चाहता हूँ. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहन कलोसिया)	**(मोहन कलोसिया)**
Mohan Kalosia	Mohan Kalosiya
	पता– 32, देवनगर, हरिजन कालोनी,
	इंदौर (म.प्र.).

(G-2135)

उप—नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार चर्मकार पिता श्री सुखलाल चर्मकार, आयु 37 वर्ष, जाति चमार, निवासी— ग्राम, पोस्ट, थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) का निवासी हूँ. मेरे नाम से जारी कक्षा 1 से बी.एस.सी., बी.एड. तक की शैक्षणिक दस्तावेजों (अंकसूची) में मेरा उपनाम/सरनेम चर्मकार अंकित है, जो समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मेरे ही हैं. लेकिन मैं, अब अपना सरनेम/उपनाम चर्मकार के स्थान पर चौधरी अंकित करता हूँ. अतः आज दिनांक के बाद मेरा पूरा नाम राजकुमार चौधरी माना व जाना जाये व इसी पूरे नाम से जारी होने वाले समस्त दस्तावेजों में अंकित कर दिया जाये. मेरे द्वारा उक्त सरनेम/उपनाम परिवर्तन के संबंध में दी गई जानकारी पूर्णतः सही व सत्य है.

पुराना नाम

(राजकुमार चर्मकार)

नया नाम

(राजकुमार चौधरी)

पिता— श्री सुखलाल चर्मकार

पता— ग्राम, पोस्ट, थाना व

तहसील रायपुर कर्चुलियान,

जिला रीवा (म.प्र.).

(G-2136)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सोना इलेक्ट्रिकल्स पार्टनरशिप फर्म जो प्लाट नंबर 82—ए एवं 82—बी सेक्टर, एच. इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल जिसका रजिस्टर में क्रमांक 01—01—01—0123—17, वर्ष 2017—18 फर्म एंड सोसाइटी कार्यालय में अंकित है. उक्त पार्टनरशिप फर्म के भागीदारों 1. श्री संजय बरसैया एवं 2. श्रीमति गितिका बरसैया में से भागीदार श्री संजय बरसैया की दिनांक 16—07—2018 को मृत्यु हो गई थी. वर्तमान में दिनांक 17—07—2018 को संशोधित पार्टनरशिप डीड के आधार पर श्रीमति गितिका बरसैया, आयु 45 वर्ष, पत्नी स्व. श्री संजय बरसैया एवं श्री प्रखर बरसैया पुत्र स्व. श्री संजय बरसैया, आयु 16 वर्ष, निवासी— C/o जी.डी. गुप्ता, 25, सीनियर एम.आई.जी., अप्सरा काम्पलेक्स, इन्द्रपुरी, भेल, भोपाल—462022 इकाई (सोना इलेक्ट्रिकल्स) के भागीदार है.

द्वारा— अधिवक्ता,

अमृता मिश्रा,

भोपाल (म.प्र.).

(G-2137)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सौंसर, जिला छिंदवाड़ा

सौंसर, दिनांक 28 नवम्बर 2022

रा.प्र.क्र. 02–बी–113–2021–22
मौजा सौंसर, प.ह.नं. 18,
तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, न्यासकर्ता अध्यक्ष उत्तमचंद जैन श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर सौंसर तहसील सौसर जिला छिंदवाडा द्वारा श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट सौंसर तहसील सौसर जिला छिंदवाडा के म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951क–30 की धारा 4 के अंतर्गत) के लिये लोक न्यास के रुप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया हैं। एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2022 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेंगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध ,कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि तक या उसके पूर्व मेरे समक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। पेशी दिनांक गत् होने के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्तियो पर विचार नहीं लिया जावेगा।

आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

जारी दिनांक 28.11.2022
पेशी दिनांक 12.12.2022

श्रेयांस कुमट, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-2138)

कार्यालय, पंजीयक एवं लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र.क्र. 0001—बी—113—2022—23 उज्जैन, दिनांक 18 अप्रैल 2022

प्रारूप चार

(नियम—5) 1 (देखिए)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक अखिल भारतीय जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण न्यास , निवासी 238/3/1 ई—वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 (की धारा—4 के अधीन अनुसूची मे लोक न्यास की तरह आचार्य विघासागरजी महाराज के जीवन दर्शन, साहित्य एवं सिंद्धातों पर शोधरोधक गतिविधियों, सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं को संयोजित करने के लिए न्यास की पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12.04.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः में पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12.04.2022 को उक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राहय नही किया जाएगा।

अनुसूचीः—

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नामः— अखिल भारतीय जैन ज्ञानोदय शिक्षा एवं समाज कल्याण न्यास , निवासी 238/3/1 ई—वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन

कार्यालयः— 238/3/1 ई—वे प्लाजा ,तृतीय मंजिल , दो तालाब के पास रोड, उज्जैन अचल संपत्ति :— निरंक

चल संपत्तिः— निरंक

जगदीश मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2139)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, देपालपुर, जिला इन्दौर

प्र.क्र. 336–री–2–2019 देपालपुर, दिनांक 9 मई 2022

(फार्म चार)

आवेदक नेमकुमार जैन पिता मानमल जैन निवासी एम.जी.रोड देपालपुर द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रारुप–तीन, नियम 4(2) के अंतर्गत श्रीमनकमल पार्श्वनाथ जीवमैत्री परमार्थित न्यास पता इन्दौर रोड देपालपुर ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति, एवं निर्धारित शुल्क 05/– का चालान प्रस्तुत किया गया है ।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परीशिष्ठ में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह (अर्थात 30) दिन के अन्दर स्वंय अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है।

निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो/दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

:: परिशिष्ठ ::

पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता श्रीमनकमल पार्श्वनाथ जीवमैत्री परमार्थित न्यास पता इन्दौर रोड देपालपुर एवं ट्रस्ट के नाम अचल संपत्ति का विवरण नाम से 73,702/– रुपये आई.सी.आई.सी.आई बैंक में जमा है। ट्रस्ट में सदस्यो की विवरणी सूची सलग्न की गई है।

आज दिनांक ....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया ।

रवि कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2140)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना–गुना

प्रारूप क्र.– 4

देखिये नियम–7 (1)

प्र.क्र. 02–बी–113–21–22 गुना, दिनांक 14 अक्टूबर 2022

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा] न्यायालय, लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष.

यत: कि अध्यक्ष, राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन निवासी सदर बाजार गुना एवं सचिव , अशोक कुमार जैन पुत्र श्री गेंदालाल जैन निवासी पुरानी गल्ला मंडी गुना '' श्री घासीलाल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट गुना '' मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा -4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 1/11/2022 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्तिया सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नही लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	'' श्री घासीलाल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट गुना''
चल सम्पत्ति	:	1-रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 16/12/1978 द्वारा श्री रतनलाल लाहोटी से कय 2- हनुमान गली गुना में रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 28/4/2001 /.

3-हनुमान गली गुना में रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 29/3/2003 द्वारा श्रीमति राजेन्द्र के मु. आ. संतोष जैन से क्रय की

अचल सम्पत्ति

1- चाँदी थाल 2
2- चाँदी पाण्डुसिला 1
3- चाँदी झारी वडे कलश 4 मय नारियल
4- चाँदी लोटा 1
5- चाँदी कलश नलकी वाला 1
6- चाँदी कलश छोटे 25
7- चाँदी थाली प्लेट 3
8- चाँदी मुकट 32
9- चाँदी काटोरी 5
10- चाँदी चम्मच 3
11- चाँदी आरती 2
12- चाँदी गंदोद्यक कटोरीमय ढक्कन 2
13- चाँदी चमर 4
14- चाँदी दीपक 1
15- चाँदी छत्र 3
16- चाँदी अष्टप्रातीहार्य 8
17- चाँदी पंचमेरू 5
18- चाँदी छत्र स्वर्ण पालिश 17
19- चाँदी सिंघासन 14
20- चाँदी सिंघासन 7 मूर्ति वाला
21- तार्वे के यंत्र 10
22- चाँदी चाँदी अष्टप्रातीहार्य स्वर्ण पालिस 8
23- स्वर्ण छत्र 3
24- चाँदी भांमण्डल स्वर्ण पालिस 3
25- चाँदी झारी वडे नलकी 2
26- स्वर्ण कलश बडे 2
27- स्वर्ण कलश छोटे 4
28- स्टील थाल 40
29- स्टील थाली 32
30- स्टील परांत 13
31- स्टील टंकी 20
31- स्टील गगरा 11
32- स्टील लोटा 11
33- स्टील पूजन थाली छोटी 624
34- स्टील भपका कलश 480
35- स्टील रकेवी छोटी प्लेट 125
36- स्टील टेविल 19
37- स्टील वेंच 26
38- लकडी पांडुकसिला 01
39- पीतल भपका गिलसिया 566
40- पीतल रकेवी छोटी 100
41- पीतल चम्मद छोटी 200
42- पीतल थाल 02
43- पीतल टेविल 14
44- लोहा ब्रेंज 29
45- लोहा ब्रेंच 3 सीटर 02
46- लकडी टेविल 01

वीरेन्द्र सिह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-2141)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला सिवनी

क्र. उपंसि–विधि–परिसमापन–2022/2836 सिवनी, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के तहत्]

नागरिक सहकारी साख समिति मर्या सिवनी (जिसे आगे केवल संस्था कहा जावेगा) पं. क्रमांक 919 विकासखण्ड व जिला सिवनी के विगत वर्षो के अंकेक्षको द्वारा आडिट नोट मे अकार्यशील बताया गया तथा संस्था का वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण श्री एल एन साहू उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाये सिवनी द्वारा किया जाकर अंकेक्षक द्वारा आडिट नोट मे संस्था को अकार्यशील बताया जाकर संस्था को परिसमापन मे लाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से अपने उपविधियो मे वर्णित उद्देश्यो के अनुसार अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नही किया गया है तथा संस्था अकार्यशील है। संस्था की उपविधियो के प्रावधानुसार अपने उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु अभी तक कोई कार्य प्रारंभ न करने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था के सदस्यो को संस्था मै कोई रूचि नही है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति मे संस्था के बने रहने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

उक्त के संबंध मे संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंसि/परिसमापन/2022/1854 सिवनी दिनांक 31.08.2022 के द्वारा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस मे जवाब चाहा गया था। लेकिन निर्धारित समयावधि से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से आज दिनांक तक न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाव प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यो को कुछ नही कहना है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति मे संस्था को परिसमापन मे लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी दिनांक 26.07.1999 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियो का उपयोग करते हुये मै अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाये सिवनी, नागरिक सहकारी साख समिति मर्या सिवनी पं. क्रमांक 919 विकासखण्ड एवं जिला सिवनी को आज दिनांक 18.11.2022 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन मे लाता हूँ तथा म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत सुश्री विजेता सूर्यवंशी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाये सिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम, उप पंजीयक.

(G-2142)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 18, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.